कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

एस.बी. सिविल याचिका संख्या 17310/2018 अर्जुन सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.11.2028 में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि याचिकार्थी दिनांक 24–11–2012 से प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के राजकीय प्राथमिक विद्यालय नेडी भटवाड़ा पंचायत समिति झलारा जिला उदयपुर में अध्यापक लेवल–1 के पद पर कार्यरत है एवं उसके द्वारा स्थानान्तरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के क्रम में विभाग के आदेश दिनांक 04.06.2018 (क्रम संख्या 1225) के अनुसार उसका स्थानान्तरण रामावि नेडी भटवाड़ा पंचायत समिति झलारा जिला उदयपुर से राउमावि गोपासरिया तिवरी जिला जोधपुर में किया गया, जबकि उक्त आदेश में अंकित रामावि नेडी भटवाड़ा पंचायत समिति झलारा जिला उदयपुर नाम से कोई विद्यालय नहीं है। याचिकार्थी के कथनानुसार वह जोधपुर का मूल निवासी है व उसकी पत्नी उसके कार्यस्थल से 300 किमी. दूर राउप्रा संस्कृत विद्यालय कण्डी नाडी बिरालपुर पं.स. मण्डोर जिला जोधपुर में तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर कार्यरत है एवं उसका 4 साल का पुत्र भी जोधपुर में अध्ययनरत है तथा उसके माता–पिता गंभीर रोग से ग्रसित है, जिनका जोधपुर स्थित सरकारी अस्पताल में ईलाज चल रहा है और याचिकार्थी के अलावा उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है। अतः याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर व्यक्तिगत एवं पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर विभाग के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.06.2018 में संशोधन कर राजकीय प्राथमिक विद्यालय नेडी भटवाड़ा पंचायत समिति झलारा जिला उदयपुर से पंचायत समिति मण्डोर जिला जोधपुर के राप्रावि कच्छवाहों का बेरा माणकलाव अथवा किसी भी राप्रा/उप्रा विद्यालय में रिक्त पद पर स्थानान्तरण करने की मांग की है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.11.2018 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। याचिकार्थी द्वारा पत्नी के राजकीय सेवा में जोधपुर जिले में कार्यरत होने के आधार पर उदयपुर जिले से जोधपुर जिले में स्थानान्तरण की मांग के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि शासन के पत्रांक प 17(4) शिक्षा–2/2009 पार्ट जयपुर, दिनांक 26.07.2019 के अनुसार तृतीय श्रेणी अध्यापक के स्थानान्तरण हेतु वर्तमान में शासन द्वारा पत्रांक प 5(5) प्राशि/2018 दिनांक 02.04.2018 द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश प्रभावी है, जिनमें राजकीय सेवा में कार्यरत पति–पत्नी के एक ही जिले में पदस्थापन के सम्बन्ध में कोई दिशा–निर्देश अंकित नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में स्थानान्तरण का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु की जा रही मांग तर्कसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है।

वर्ष 2018 में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 5(5) प्राशि/2018 जयपुर दिनांक अप्रेल 2018 में अंकित पात्रताओं के आधार पर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक कार्यालयों में स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक कार्यालयों को प्राप्त समस्त स्थानान्तरण प्रस्ताव आगामी कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित किये गए। तत्पश्चात प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानान्तरण आदेश शासन स्तर से ही जारी किये गये।

अतः याचिकार्थी द्वारा उदयपुर जिले से जोधपुर जिले में स्थानान्तरण करने हेतु की जा रही मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाए जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक,
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा./संस्था/एफ–2/को.के./जोध/13237/2018 दिनांकः– 16/07/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, उदयपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
4. सहायक निदेशक,संस्थापन,प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
5. सहायक निदेशक (विधि), कार्यालय हाजा।
6. याचिकार्थी श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री मंगू सिंह, अध्यापक लेवल–1, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नेडी भटवाड़ा पंचायत समिति झलारा जिला उदयपुर **(रजिस्टर्ड)**
7. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)